माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी और एस. एस. सुधालकर, के समक्ष

ईश्वर सिंह - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 *का* 7418

10 जुलाई, 1995

भारत का संविधान, 1950 226- *जनहित याचिका-अधिकार- जनहित याचिका को व्यक्तिगत द्वेष और शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जनहित याचिका को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और दुश्मनी को संतुष्ट करने के लिए लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जनहित याचिका व्यक्तियों या समुदाय के एक समूह के मौलिक अधिकारों के सत्यापन या प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही पर विचार करती है जो अपनी अक्षमता, गरीबी या कानून की अज्ञानता के कारण अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

जनहित याचिका के अधिकार का *प्रश्न* ठोस नहीं होगा और न्यायालय जनहित में मुकदमेबाजी की अनुमति देगा यदि यह पाया जाता है: –

1. यह कि आक्षेपित कार्रवाई भारत के संविधान के भाग III में निहित किसी भी अधिकार का उल्लंघन है और इसे लागू करने के लिए राहत मांगी गई है;
2. यह कि शिकायत की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध या दुर्भावनापूर्ण है और उन व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करती है जो गरीबी, अक्षमता या कानून की अज्ञानता के कारण अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं;
3. व्यक्ति या समूह या व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संवैधानिक कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए सार्वजनिक हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे थे;
4. व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक व्यस्त मध्यस्थ व्यक्ति नहीं है और

उसने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध या शिकायत को सही ठहराने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से संपर्क नहीं किया है।;

5. यह कि जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग राजनेताओं या अन्य व्यस्त निकायों द्वारा राजनीतिक या असंबंधित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। राज्य या लोक प्राधिकरण की ओर से की गई प्रत्येक चूक ऐसे मुकदमों में सार्वजनिक रूप से न्यायोचित नहीं है ;
6. जनहित में शुरू किया गया मुकदमा ऐसा था कि यदि इसका निवारण नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो यह न्यायपालिका की संस्था और देश के लोकतांत्रिक ढांचे में आम आदमी के विश्वास को कमजोर कर देगा .
7. कि राज्य की कार्रवाई को छुपाने की कोशिश की जा रही थी और तकनीकी पहलुओं से बाहर फेंकने का इरादा था
8. जनहित याचिका या तो दायर याचिका पर या प्राप्त पत्र या अन्य जानकारी के आधार पर शुरू की जा सकती है लेकिन इस संतुष्टि पर कि न्यायालय के समक्ष रखी गई जानकारी ऐसी प्रकृति की थी जिसके लिए जांच की आवश्यकता थी;
9. कि न्यायालय का रुख करने वाला व्यक्ति साफ दिल और साफ उद्देश्यों के साथ आया है;
10. जनहित में कोई भी कार्रवाई करने से पहले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उसके मंच का दुरुपयोग किसी भी निर्दोष वादी, राजनेताओं, व्यस्त निकाय या व्यक्तियों या समूहों द्वारा अपनी व्यक्तिगत शिकायत की पुष्टि के लिए या ब्लैकमेलिंग या सार्वजनिक हित से इतर विचारों का सहारा लेकर नहीं किया जा रहा है।

(पैरा 24 & 25)

भारत का संविधान, 1950 226*–अबादी देह–परिभाषा–इसका अर्थ है कि बसे हुए गाँव स्थल को शामलात देह में शामिल नहीं किया गया है।*

अभिनिर्धारित किया गया, *न्यायिक* फैसलों के आधार पर, अबादी देह का अर्थ है बसे हुए गांव का स्थल जो शामलात देह की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसलिए, अबादी देह का अर्थ है गांव का बसा हुआ स्थल। दूसरे शब्दों में, अबादी देह का अर्थ ऐसी भूमि से है जो गांवों द्वारा बसाई गई है, जिसमें भूमि के भूखंड शामिल हैं जिनमें मवेशियों को लिखा जाता है, खाद संग्रहीत की जाती है और भूसा एकत्रित किया जाता है और अन्य अपशिष्ट गांव की साइट से जुड़ा होता है जिसका मूल्यांकन भूमि राजस्व से नहीं किया जाता है।

(पैरा 34)

भारत का संविधान, 1950 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) - स्टोन क्रशरों की संस्थापना के लिए रखी जाने वाली दूरी- राज्य यह तय करे कि संविधि और उसके अंतर्गत बनाई गई अधिसूचना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किस बिंदु से दूरी मापी जानी है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कि लाल लकीर या फिरनी की परिभाषा के संबंध में जो भी स्थिति हो, प्रतिवादियों को यह तय करना है कि कानून के उद्देश्य, अधिसूचनाओं और उसके तहत बनाए गए नियमों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दूरी को किस बिंदु से मापा जाना है। राज्य की राय जब तक अनुचित या दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाई जाती है, तब तक इसे अन्य लोगों की राय से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जिनके इस मामले में निहित और व्यक्तिगत हित हैं।

(पैरा 36)

भारत का संविधान, 1950 19- व्यापार करने का मौलिक अधिकार मनुष्य और पर्यावरण के सामाजिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं - न्यायालय प्रदूषण मुक्त वातावरण के संरक्षण के लिए उचित निर्देश जारी करने में संकोच नहीं करेंगे।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुक्त और अप्रदूषित पर्यावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह पर्यावरणीय लक्ष्य नागरिकों और समुदायों और उद्यमों और संस्थानों द्वारा हर स्तर पर जिम्मेदारी की स्वीकृति की मांग करेगा, सभी सामान्य प्रयासों में समान रूप से साझा करेंगे। न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों के साथ-साथ कई क्षेत्रों में संगठन, अपने मूल्यों और उनके कार्यों के योग से, भविष्य के विश्व वातावरण को आकार देंगे। जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि वातावरण और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, न्यायालय प्रदूषण मुक्त वातावरण के संरक्षण के लिए उचित निर्देश जारी करने में संकोच नहीं करेगा।

(पैरा 42)

भारत का संविधान, 1950 - *अनुच्छेद 226 - स्टोन क्रशरों का ओपेरा मोन - निर्देश जारी।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

1. सभी निजी उत्तरदाता जो स्टोन क्रशर के मालिक हैं, वे अपने स्टोन क्रशिंग व्यवसाय को बंद कर देंगे और उन्हें इस फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देंगे;

2. राज्य सरकार स्टोन क्रशरों को बंद करने और चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और केवल ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में लाइसेंस जारी करेगी जो स्टोन क्रशर के अपने व्यवसाय को चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं;

3. यह कि वर्तमान स्थानों पर स्थित सभी स्टोन क्रशरों को एक महीने के बाद बंद माना जाएगा और उन्हें किसी भी आधार या बहाने से स्टोन क्रशर का कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

4. निजी प्रतिवादी स्टोन क्रशर की स्थापना या किसी अन्य समान और सहायक उद्देश्य के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थित अपनी भूमि को नहीं बेचेंगे।

5. क्षेत्र के नागरिक उन व्यक्तियों के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए अपने दावों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकृत हैं, जो निजी उत्तरदाताओं के स्वामित्व और प्रबंधन वाले स्टोन क्रशरों के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण पीड़ित साबित हुए हैं। क्षेत्र के निवासियों को इस तरह के अधिकार को अधिसूचित करने के बाद दो महीने के भीतर ऐसे मुआवजे के दावों पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसे दावों को प्राथमिकता दी जाती है, तो उन पर विचार किया जाएगा और तीन महीने के भीतर निपटाया जाएगा और यदि कोई प्रतिवादी-स्टोन क्रशर मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर स्टोन क्रशर व्यवसाय करने के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि मुआवजे के लिए दावों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जारी करते समय, प्रतिवादी-राज्य मुआवजे के लिए ऐसे दावों के मनोरंजन और अधिनिर्णय के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करेगा। यदि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इसकी सराहना की जाएगी।

याचिकाकर्ता के वकील आर. एस. चाहर के साथ वकील।

डी. डी. गुप्ता, वकील, प्रतिवादी *संख्या 1 के लिए।*

वी. के. वशिष्ठ, वकील, *प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।* 2.

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विज, प्रतिवादी *संख्या 10 के वकील* 8, 10 *से* 14।

पीएस पटवालिया, एडवोकेट, सिद्धार्थ सरूप, एडवोकेट, एनएस दलाल एडवोकेट। '

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति पी. सेठी,

1. एम. सी. मेहता *बनाम* भारत संघ और अन्य *मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में*,[1] हरियाणा सरकार ने दिनांक 4 अगस्त, 1992 को अधिसूचना जारी की जिसमें यह घोषित किया गया कि राज्य सरकार की राय है कि हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशर इकाइयां गंभीर वायु प्रदूषण और यातायात और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे हरियाणा सरकार की दिनांक 9 जून की अधिसूचना में निर्धारित पैरामीटर के भीतर स्थित न हों। 18 दिसंबर, 1992 को प्रतिवादी सरकार ने फिर से अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 9 जून, 1992 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया गया और नए पैरामीटर निर्धारित किए गए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके परिणामस्वरूप जारी अधिसूचना के बावजूद, गुड़गांव जिले के नौरंगपुर गांव से स्टोन क्रशरों को स्थानांतरित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता ने जनहित में यह रिट याचिका दायर की ताकि प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से नौरंगपुर, जिला गुड़गांव में स्टोन क्रशिंग व्यवसाय को बंद करने और अपने व्यवसाय को स्टोन क्रशिंग के उद्देश्य से निर्धारित क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जा सके।

2. यह प्रस्तुत किया गया है कि स्टोन क्रशरों को सरकार द्वारा प्रदान की गई वैकल्पिक साइट पर स्थानांतरित नहीं करने के कारण, प्रतिवादी-स्टोन क्रशर सामान्य रूप से आम नागरिक और विशेष रूप से गांव के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा और बाधाएं पैदा कर रहे हैं। आरोप है कि जिस गांव में स्टोन क्रशर हैं, वहां रहने की स्थिति सुरक्षित नहीं है। मशीनों से निकलने वाली धूल जो पत्थरों के टूटने पर क्षय रोग का कारण बनती है जिसके परिणामस्वरूप गांव के निवासियों की जान चली जाती है। यह तर्क दिया गया है कि स्टोन क्रशर द्वारा बनाई गई धूल के कारण हवा प्रदूषण का कारण बनती है और गांव के निवासियों द्वारा सांस लेने के बाद फेफड़ों के संक्रमण के कारण सांस लेने में समस्या पैदा होती है।

---

[1] (1992) 3 एस.सी.सी.256

3. डी.बी., जे प्रतिवादियों संख्या 3 को इस याचिका को स्वीकार करते हुए गांव की आबादी से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले परिसरों में कोई भी स्टोन क्रशिंग व्यवसाय करने से इस आधार पर रोक दिया गया था कि उनके पास राज्य सरकार से कोई लाइसेंस / अनुमति नहीं थी और फिर भी वे गांव की आबादी से 1 किलोमीटर के दायरे में पत्थर क्रशिंग व्यवसाय जारी रखे हुए थे।

4. प्रतिवादी संख्या डी 12 और 2 की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि रिट याचिका में पेश की गई शिकायतों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या याचिका में उल्लिखित स्टोन क्रशर, प्रतिवादी संख्या 3 से 23 होने के नाते, 9 जून की अधिसूचना के मापदंडों को पूरा कर रहे थे। 1992 और 18 दिसंबर, 1992 या नहीं। यदि कोई स्टोन क्रशर उपर्युक्त अधिसूचनाओं के मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 9 जून, 1992 की अधिसूचना में, स्टोन क्रशरों के स्थान के लिए सिटिंग पैरामीटर तय किए गए थे, जबकि 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना में, स्टोन क्रशिंग के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई थी। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्टोन क्रशरों को 8 दिसम्बर, 1992 तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी। स्टोन क्रशर के मालिकों के प्रतिनिधित्व पर, समय-समय पर विस्तार प्रदान किए गए थे। यह तर्क दिया गया है कि स्टोन क्रशरं के चलने के कारण गांवों को कोई बीमारी नहीं हो रही है क्योंकि हवा की सामान्य दिशा गांव से दूर है। यह भी कहा गया है कि अधिकांश स्टोन क्रशर गांव से दूर तलहटी के पास स्थित हैं। कहा जाता है कि सभी स्टोन क्रशरों को उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रदान किए गए हैं जैसे सभी उत्सर्जन बिंदुओं पर कवर शेड और स्प्रिंकलर जिनमें वे स्टोन क्रशर भी शामिल हैं जो मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

5. In their reply,respondents No. , 3, 5, 6 and 7 have submitted that the petition was liable to be dismissed as Directors Mines and Geology who is licensing Authority, had not been impleaded as party respondent in the case. The petition is alleged to be not maintainable for non-joinder of Union of India through its Secretary Pol [1] u- tion Departments which according to the aforesaid respondents was

necessary party. It is submitted that **the** petitioner being not aggrieved person had no right to file the present writ petition. Ihe $^{s}t^{S}$; ^{e} i cLhing units o, the answering. respondents do not onr·equiree shifting to some other place as no pollution is being caused by their functioning as the stone crushers are claimed having -pollution control devices and installed sprinklers etc. to supress the dust.

प्रतिवादी संख्या डी 12 और 2 की ओर से दायर जवाब में कहा गया है कि रिट याचिका में पेश की गई शिकायतों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या याचिका में उल्लिखित स्टोन क्रशर, प्रतिवादी संख्या 3 से 23 होने के नाते, 9 जून की अधिसूचना के मापदंडों को पूरा कर रहे थे। 1992 और 18 दिसंबर, 1992 या नहीं। यदि कोई स्टोन क्रशर उपर्युक्त अधिसूचनाओं के मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 9 जून, 1992 की अधिसूचना में, स्टोन क्रशरों के स्थान के लिए सिटिंग पैरामीटर तय किए गए थे, जबकि 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना में, स्टोन क्रशिंग के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई थी। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्टोन क्रशरों को 8 दिसम्बर, 1992 तक कार्य करने की अनुमति दी गई थी। स्टोन क्रशर के मालिकों के प्रतिनिधित्व पर, समय-समय पर विस्तार प्रदान किए गए थे। यह तर्क दिया गया है कि स्टोन क्रशर ोें के चलने के कारण गांवों को कोई बीमारी नहीं हो रही है क्योंकि हवा की सामान्य दिशा गांव से दूर है। यह भी कहा गया है कि अधिकांश स्टोन क्रशर गांव से दूर तलहटी के पास स्थित हैं। कहा जाता है कि सभी स्टोन क्रशरों को उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रदान किए गए हैं जैसे सभी उत्सर्जन बिंदुओं पर कवर शेड और स्प्रिंकलर जिनमें वे स्टोन क्रशर भी शामिल हैं जो सिटिंग मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

6. अपने जवाब में, प्रतिवादी संख्या 8, 10 से 23 ने तकनीकी आधार पर रिट याचिका का विरोध किया, जैसा कि अन्य निजी उत्तरदाताओं की ओर से दायर जवाब में ऊपर उल्लेख किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 4648 को गलत तरीके से उद्धृत किया है। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त सीडब्ल्यूपी के तथ्य और परिस्थितियां उत्तर

देने वाले उत्तरदाताओं के मामले से पूरी तरह से अलग हैं। उपरोक्त रिट याचिका पंचकूला क्षेत्र के स्टोन क्रशरों से संबंधित थी, जो जवाब देने वाले प्रतिवादियों के अनुसार स्टोन क्रशिंग लाइसेंस देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और कथित तौर पर अनधिकृत रूप से संचालित किए जा रहे थे, जबकि उत्तर देने वाले प्रतिवादियों की स्टोन क्रशिंग इकाइयां निदेशक, खान और भूविज्ञान द्वारा जारी वैध लाइसेंस के तहत चलाई जा रही थीं। हरियाणा, संबंधित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत। उन्होंने स्टोन क्रशिंग से पैदा होने वाली धूल को रोकने के लिए अपने स्टोन क्रशर के ऊपर एक शेड स्थापित करने का दावा किया है और धूल को दबाने के लिए स्प्रिंकलर जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपाय भी लगाए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले ही एक सहमति पत्र जारी कर दिया है जिसमें उत्तर देने वाले प्रतिवादियों को उस स्थान पर स्टोन क्रशर इकाई चलाने की अनुमति दी गई है जहां वे वर्तमान में स्थित हैं। खान और भूविज्ञान के निदेशक ने पत्थरों को कुचलने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं को जवाब देने के पक्ष में एक लाइसेंस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह एक व्यस्त व्यक्ति और ब्लैक-मेल करने वाला व्यक्ति है, जिसने जवाब देने वाले प्रतिवादियों को धमकी दी थी कि आसानी से उसे अच्छी रकम का भुगतान नहीं किया जाता है, वह उनके स्टोन क्रशर को मुकदमे में घसीटकर बंद करवा देगा। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को स्टोन-क्रशर के स्थानांतरण के कारण लाभ होने की संभावना है, इसलिए उसने गुप्त उद्देश्यों के साथ वर्तमान याचिका दायर करने का विकल्प चुना है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास उस क्षेत्र में जमीन है जहां स्टोन क्रशर को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। रिट जारी करने से, याचिकाकर्ता को अकेले लाभ होगा। चूंकि स्टोन क्रशर इकाइयां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर स्थापित की गई हैं और सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए गए हैं, इसलिए उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा स्टोन क्रशिंग इकाइयों को चलाने से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है।

7. न्यायालय के दिनांक 21 सितम्बर, 1994 के निर्देश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया है कि 9 जून की व्यापक अधिसूचना। (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी 1992 और 18 दिसम्बर, 1992 के संबंध में

हरियाणा सरकार ने यह निर्धारित किया है कि किसी भी स्टोन क्रशर इकाई को अन्य बातों के साथ-साथ कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी गांव आबादी या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किसी भी क्षेत्र या नियंत्रित क्षेत्र के तहत आने वाले किसी भी क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर। अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ संलग्न नक्शे में नौरंगपुर गांव की आबादी को अलग रंग में दिखाया गया है। आबादी खसरा नंबर 102 में स्थित बताई गई है। नक्शे में क्रशरों को लाल रंग की रूपरेखा में दर्शाया गया है। बताया जाता है कि मानचित्र अनुलग्नक पी/5 राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए ग्राम राजस्व मानचित्र के आधार पर तैयार किया गया है। अधिकांश क्रशर खसरा नंबर 98 में स्थित बताए जा रहे हैं। 99 या 100। नक्शे पर नीली रेखा गांव की आबादी से 1 किलोमीटर की दूरी को इंगित करती है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा चलाए जा रहे सभी 21 क्रशर 1 किलोमीटर के भीतर थे जो निषिद्ध थे।

8. हरियाणा राज्य प्रदूषण निगम बोर्ड, चंडीगढ़ के सदस्य सचिव श्री बीडी सरदाना द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया है कि 18 दिसंबर, 1992 को अधिसूचना जारी होने के बाद इस तथ्य के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा था कि अधिसूचना में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस बिंदु से 1 किलोमीटर की दूरी मापी जानी है। इस मामले को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1994 के अपने पत्र के माध्यम से सरकार को भेजा गया था जिसमें उस बिंदु के संबंध में सलाह मांगी गई थी जहां से गांव की आबादी से दूरी मापी जानी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि क्या दूरी को गांव की आबादी के केंद्र से मापा जाना है या राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के *लाल डोरा* से या गांव के लाल डोरा से बने अंतिम घर या क्रशर के पास बने घर से भी। सचिव के पत्र के जवाब में हरियाणा सरकार के आयुक्त और सचिव, पर्यावरण विभाग से जवाब मिला। चंडीगढ़ दिनांक 16 मार्च। 1994 में सूचित किया गया था कि गांव आबादी से स्टोन क्रशर की दूरी को मापते समय, "क्रशर इकाई की बाहरी सीमा से गांव के फिरनी के निकटतम खंड तक की दूरी को मापने की प्रथा का पालन किया जा सकता है। स्टोन क्रशरों के स्थलों के पुन: सत्यापन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश भेजे गए थे। उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर क्षेत्रीय अधिकारी। गुड़गांव ने खुलासा किया था कि गांव आबादी से सभी स्टोन क्रशरों की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम थी। क्षेत्रीय अधिकारी, गुड़गांव से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद

इस मामले को दिनांक 24 मई, 1994 के पत्र द्वारा सभी तथ्यों का ब्यौरा देते हुए सरकार को भेज दिया गया था। यह मामला आगे की कार्रवाई करने के लिए सरकार के समक्ष लंबित बताया गया है।

9. कुछ व्यक्तिगत निजी प्रतिवादियों द्वारा अलग-अलग अतिरिक्त हलफनामे भी दायर किए गए हैं, जो याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हैं।

हुमने इन्हे सुना।

15. 1992 को एम.सी. मेहता के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचित किया कि पर्यावरणीय परिवर्तन हमारे देश में औद्योगिक विकास का अपरिहार्य परिणाम है, लेकिन साथ ही हवा, पानी और भूमि आदि को प्रदूषित करके पर्यावरण की गुणवत्ता को इस हद तक नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए। दिल्ली के पास या उसके आसपास स्थित स्टोन क्रशरों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हम उस दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए विवश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से चूक की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे ज्वलंत, सबसे प्रदूषित और अस्वास्थ्यकर शहर होने के बारे में बात करने में विफल रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को ताजी हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए -

a) यांत्रिक स्टोन क्रशर लाल कुआं, आनंद पर्वत, रजोकरी में स्थापित/संचालित हैं। तुगलकाबाद और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के किसी भी अन्य क्षेत्र में 15 अगस्त, 1992 से प्रचालन/कार्य करना बंद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त, 1992 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई भी स्टोन क्रशर नहीं चलेगा।

b) हरियाणा के सूरज कुंड, लखनपुर, लक्कड़पुर, कट्टन, गुरुकुल, बड़खल, पल्लीनंगला, सरायखाजा, अनंगपुर और बल्लभगढ़ क्षेत्रों में स्थापित/संचालित

यांत्रिक स्टोन क्रशर 15 अगस्त, 1992 से कार्य करना बंद कर देंगे। 15 अगस्त, 1992 के बाद से उपर्युक्त क्षेत्र में कोई स्टोन क्रशर संचालित नहीं होगा।

c) दिल्ली उच्च न्यायालय में स्टोन क्रशरों के मालिकों/मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाएं, जिन्हें इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाएंगी।

d) केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली/फरीदाबाद बल्लभगढ़ कॉम्प्लेक्स में स्टोन क्रशर, जिनके पास दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957/फरीदाबाद, जटिल प्रशासन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1971 या किसी अन्य प्राधिकरण से वैध लाइसेंस नहीं हैं, जो कानून की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से काम करना और संचालन करना बंद कर देंगे।.

e) जिन स्टोन क्रशरों के संबंध में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-क के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बंद करने के आदेश/निदेश जारी किए गए हैं, वे तत्काल प्रभाव से कार्य करना/प्रचालन करना बंद कर देंगे।

f) दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने उपाध्यक्ष और आयुक्त (योजना), दिल्ली नगर निगम के माध्यम से अपने आयुक्त, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन के माध्यम से अपने मुख्य प्रशासक, निदेशक नगर और ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा के उपायुक्त फरीदाबाद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से अपने आयुक्त/मुख्य कार्यकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के सदस्य-सचिव के माध्यम से कार्य करता है। 1986 और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हमारे उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

g) हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों, जो अदालत में उपस्थित थे, ने हमें सूचित किया कि पाली गांव में नए "पेराई क्षेत्र" को मंजूरी दे दी गई है और ले-आउट प्लान तैयार किया गया है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया में है। उक्त "पेराई जोन" की स्थापना मौजूदा स्टोन क्रशरों के पुनर्वास के उद्देश्य से की गई है, जिन्हें

हमारे आदेशों के परिणामस्वरूप कार्य करने से रोका जा रहा है। इसलिए, हम निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़, मुख्य प्रशासक फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन, उपायुक्त, फरीदाबाद और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि वे उपरोक्त पैरा 1, 2, 4 और 5 में उल्लिखित स्टोन क्रशरों को ड्रॉ, लॉट या किसी अन्य उचित और न्यायसंगत विधि से सीमांकन और स्थल आवंटित करें। हम इन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि यदि हमारे आदेशों से प्रभावित सभी स्टोन क्रशरों को समायोजित करने के लिए उक्त क्षेत्र में पर्याप्त भूमि नहीं है, तो "क्रशिंग जोन" में या उसके आसपास अतिरिक्त भूमि प्रदान करें। यह कार्य पूरा हो जाएगा और आज से छह महीने की अवधि के भीतर स्टोन क्रशरों को भूखंड ोां की पेशकश की जाएगी। निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ को इस संबंध में 31 जुलाई, 1992 से पहले इस न्यायालय की रजिस्ट्री को प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है।

10. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 7 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत तत्काल कदम उठाने के लिए दिनांक 4 अगस्त, 1992 की अधिसूचना जारी की ताकि राज्य में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके, पर्यावरणीय अवक्रमण को रोका जा सके और यातायात और मानवीय खतरों से बचा जा सके। हरियाणा के राज्यपाल ने स्टोन क्रशरों के लिए क्षेत्रों की पहचान की, जैसा कि अनुसूची के कॉलम 2 में दिया गया है। हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले सभी स्टोन क्रशर ोां की अधिसूचना सं 2011 दिनांक 9 जून, 1992 के एसओ 81, सीए 1986 और 5 और 7, 92 को 8 दिसंबर, 1992 तक उपर्युक्त चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। यह भी अधिसूचित किया गया कि पहले आओ पहले आधार पर एक जोन में अधिकतम 25 स्टोन क्रशर होंगे। दिनांक 18 दिसम्बर, 1992 की अधिसूचना अनुलग्नक पी2 निम्नानुसार है:

> “एस.ओ. 155/सी. 1986/एस. 5 और 7/92, जबकि हरियाणा सरकार ने 9 जून, 1992 को अधिसूचना संख्या एस.ओ.81/सी.ए./1986/एस.5 और 7/92 जारी की थी, कि ऐसी स्टोन क्रशर इकाइयां जो देश में हैं। इसमें उल्लिखित निषिद्ध सीमाएं सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएंगी। उक्त

अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर। और, जबकि राज्य सरकार का मत है कि हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग की दिनांक 9 जून, 1992 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.81/सीए/1986/एस.5 और 7/92 में कतिपय संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है।

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के साथ पढ़ा जाता है, दिनांक 10 फरवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 152 (ई) और उक्त अधिनियम की धारा 7 और पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसरण में, 1986 और अन्य सभी शक्तियां, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती हैं, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ./8 डब्ल्यू.सी.ए. 1986/2, 5 और 7/92, दिनांक 9 जून, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या एसओ/81/सीए/1986/5 और 7, 92, दिनांक जून, 1986/5 और 7, 92 में , *निम्नलिखित* खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

ii. हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना एस.ओ./*81/सी.ए./1986/एस.आई.डी.आई.7,92, दिनांक 9 जून, 1992 के अनुपालन में सीटिंग पैरामीटरों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को छोड़कर, जो कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई हैं, को छोड़कर किसी भी स्टोन क्रशर इकाइयों* को अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित की सीमाओं के भीतर काम करता है: -

1. राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 किलोमीटर;
- बासी राजमार्ग से एक किलोमीटर;
- लिंक रोड से 300 मीटर;
- महानगरीय शहर की सीमा से 5 किलोमीटर दूर;

- जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर;
- जिला मुख्यालय, अनुमोदित शहरी कॉलोनी और किसी भी मौजूदा पर्यटन परिसर के अलावा शहर आबादी से ली किलोमीटर;
- गांव की आबादी से एक किलोमीटर या सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज कोई भी भूमि या कोई भी क्षेत्र जो नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आता है;

iii. प्रत्येक स्टोन क्रशर एक एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र में स्थित होना चाहिए जो स्टोन क्रशर इकाई के स्वामित्व में होना चाहिए और पंचायत से पट्टे पर नहीं होना चाहिए; और

iv. स्टोन क्रशर इकाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करेगी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करेगी और अन्य सभी वैधानिक विनियमों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी होगी।

11. स्टोन क्रशर मालिकों को अब से कहीं भी स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे उपरोक्त सिटिंग मापदंडों को पूरा करें।

12. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उचित कदम उठाने के निर्णय लिए गए थे और भारत सरकार ने ऐसे निर्णय का पक्षकार होने के नाते पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा मानव के लिए खतरों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक समझा। अन्य जीवित प्राणी, पौधे और संपत्ति। इसके बाद 23 मई, 1986 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन भाग IV A, अनुच्छेद OL-A द्वारा शामिल किया गया था जो भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसके खंड (g) में "जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखने का प्रावधान है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 48-ए भी जोड़ा गया था।

13. मामले के गुण-दोष से निपटने से पहले, याचिकाकर्ता के कहने पर रिट याचिका की

विचारणीयता के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति का निपटान करना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता एक व्यस्त निकाय होने के नाते *पर्यावरण* के *साथ कोई दिलचस्पी नहीं* रखता था, लेकिन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ में रुचि रखता था, जो कथित तौर पर स्टोन क्रशरों को उनके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने के कारण बढ़ने की संभावना थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि बिना किसी *अधिकार* के याचिकाकर्ता को निजी प्रतिवादियों पर दबाव डालने, परेशान करने और ब्लैक-मेल करने के परोक्ष उद्देश्य के साथ वर्तमान याचिकाकर्ता को दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उनके पक्ष में दिए गए वैध लाइसेंस के आधार पर स्टोन क्रशिंग का अपना व्यवसाय कर रहे थे। वकीलों में इस न्यायालय की एक खंडपीठ * *पहल v.* 25 मार्च, 1995 को लिए गए 1994 के सीडब्ल्यूपी सं. 17983 के निर्णय में जनहित याचिका के दायरे, बिना किसी अधिकार के याचिका दायर करने के किसी व्यक्ति के *अधिकार* और जनहित में कार्रवाई शुरू करने वाले पक्ष के कहने पर अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग करते समय न्यायालय के साथ विचार किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के आधार पर यह निम्नानुसार माना गया था :-

> "सामान्य परिस्थितियों में और अधिकार के संबंध में पारंपरिक नियम के आधार पर यह केवल एक व्यक्ति है जिसे आक्षेपित कार्रवाई द्वारा अपने कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण कानूनी चोट लगी है, या जिसे अपने कानूनी अधिकार के उल्लंघन की धमकी के कारण चोट लगने की संभावना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार ति किसी भी रिट को जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए अकेले अदालत से संपर्क कर सकते हैं। न्यायिक निवारण के अधिकार का आधार उल्लंघन से उत्पन्न संपत्ति, शरीर, मन या प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत चोट होना, कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित के वास्तविक या धमकी देना, केवल ऐसा पीड़ित व्यक्ति ही अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

14.एस.पी. में सुप्रीम कोर्ट *गुप्ता और अन्य* वी *भारत संघ* और अन्य लोगों[2] *ने* माना

---

[2] ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 149

कि इस तरह का नियम प्राचीन काल का शासन था और यह एक ऐसे युग के दौरान उत्पन्न हुआ जब निजी कानून कानूनी दृश्य पर हावी था और सार्वजनिक कानून अभी तक पैदा नहीं हुआ था। " अंग्रेजी न्यायालयों के *साइडबॉथम के मामले,* [3] *और* रीड बोवेन *एंड कंपनी* के मामले,[4] में *मामले* का उल्लेख करने के बाद, यह माना गया था, "लेकिन संकीर्ण और कठोर हालांकि यह नियम हो सकता है, इसके कुछ अपवाद हैं जो वर्षों से न्यायालयों द्वारा विकसित किए गए हैं। *के. आर. शेनॉय* वी. *उदीपी नगर पालिका,*[5] यह माना गया था कि स्थानीय प्राधिकरण की अवैध कार्रवाई के खिलाफ, एक दर भुगतानकर्ता किसी व्यक्ति को सिनेमा लाइसेंस देने में नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठा सकता है।

15.संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय, अंग्रेजी न्यायालयों और अपने स्वयं के विभिन्न अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता के मामले (सुप्रा) में कहा : -

"इसलिए, हम यह मान सकते हैं कि पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संविधान या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न सार्वजनिक क्षति के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है और इस तरह के सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने और ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान का पालन करने की मांग कर सकता है। कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और संवैधानिक उद्देश्य "कानून" की प्राप्ति की गति को तेज करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन *कामगार यूनियन बनाम भारत संघ,* एआईआर 1981 एससी 844 में बताया है कि यह एक सामाजिक लेखा परीक्षक है और इस ऑडिट कार्य को तब लागू किया जा सकता है जब वास्तविक सार्वजनिक हित वाला कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र को प्रज्वलित करता है। कभी-कभी एक डर व्यक्त किया जाता है कि अगर हम जनता के किसी भी सदस्य के लिए " पोर्टल में प्रवेश करने के लिए दरवाजा चौड़ा रखते हैं।

---

[3] 1980 (14) सीएचडी 458।

[4] 1887 (19) QBD 174.

[5] ए.आई.आर. 1974, एस.सी. 2177.

16. सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने या सार्वजनिक हित को सही ठहराने के लिए, अदालत मुकदमेबाजी से भर जाएगी। लेकिन यह डर पूरी तरह से निराधार है और इस पर आधारित तर्क का जवाब ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग द्वारा पूरी तरह से निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है: "निष्क्रिय और सनकी वादी, एक पागल वादी, जो एक लार्क के लिए मुकदमा लड़ता है, वह भूत है जो कानूनी साहित्य को परेशान करता है, न कि अदालत कक्ष (प्रोफेसर केई स्कॉट; सुप्रीम कोर्ट में खड़ा: एक कार्यात्मक विश्लेषण" (1973) 86.
17. स्थायी अधिकारों को सीमित करने का एक प्रमुख व्यक्त कारण भय या व्यस्त निकायों द्वारा की गई कार्रवाइयों की बाढ़ है जो अदालतों के संसाधनों को अनावश्यक रूप से बढ़ाएंगे, कोई भी तर्क आसान नहीं है, खंडन करना अधिक कठिन नहीं है। यहां तक कि, अगर डर को उचित ठहराया जाता है, तो यह इस बात का पालन नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिबंध बने रहना चाहिए। यदि उचित दावे मौजूद हैं तो उनके निर्धारण के लिए संसाधन प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के लगातार फैसलों ने स्थिति को उदार बनाया है ताकि संबंधित विवाद में वास्तविक रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिल सके। 1973 में परिणाम का सर्वेक्षण करते हुए प्रोफेसर स्कॉट ने टिप्पणी की (ओपी सिट, 673)।

जब मुकदमों की बाढ़ किसी फैसले से विवाद के किसी नए वर्ग की ओर बढ़ जाती है, तो यह उल्लेखनीय है कि कैसे शायद ही कभी कोई उस बाढ़ को समझ सकता है जिसका डर विरोधियों को था।

प्रोफेसर स्कॉट ने बताया कि उदार स्थायी नियमों ने लाए गए कार्यों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं की है, यह तर्क देते हुए कि पार्टियां काफी व्यक्तिगत लागत पर मुकदमा नहीं चलेंगी जब तक कि उन्हें किसी मामले में वास्तविक रुचि न हो।

हम ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग की इन टिप्पणियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के साथ जोड़ सकते हैं:

"एक ऐसे समाज में जहां स्वतंत्रता शोष से ग्रस्त है, और सहभागी सार्वजनिक न्याय के लिए सक्रियता आवश्यक है, कुछ जोखिम उठाने होंगे और सार्वजनिक दिमाग वाले नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए अधिक अवसर खोले जाने

चाहिए और अब संकीर्ण झुकाव द्वारा इससे पीछे नहीं हटाया जाना चाहिए/ यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि अन्य राष्ट्रमंडल देशों की तरह भारत में भी खड़े होने का नियम किसी नगरपालिका के खिलाफ *यथास्थिति* बनाए रखने या करदाता की कार्रवाई पर लागू नहीं होता है , लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इससे इन क्षेत्रों में मुकदमेबाजी की बाढ़ आ गई है। *डॉ. एस. एन. जैन के "स्थायी और जनहित याचिका" पर लिखे गए लेख* के अनुसार, किसी मामले की सुनवाई में लगने वाला समय, धन और अन्य असुविधाएं हममें से अधिकांश लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के लिए पर्याप्त निवारक के रूप में कार्य करती हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की चेतावनी दी जो सार्वजनिक हित में अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं कि वे वास्तविक रूप से काम कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक प्रेरणा या अन्य अप्रत्यक्ष विचारों के लिए। न्यायालय को इसकी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वैध प्रशासनिक कार्रवाई में देरी करने या राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए राजनेताओं और अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। यह भी कहा गया कि *अधिकार* और न्यायसंगतता के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह कि राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से हर चूक न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने न्यायिक कार्य की सीमाओं का उल्लंघन न करे और उन क्षेत्रों में अतिक्रमण न करे जो संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित हैं। जनहित याचिका एक नया न्यायशास्त्र होने के नाते विकसित किया गया है और अदालतें न्यायिक शासन कौशल और उच्च रचनात्मक क्षमता की मांग करती हैं, यह आगे देखा गया, "सार्वजनिक कानून की सीमाएं दूर-दूर तक विस्तार कर रही हैं और नई अवधारणा ^ और सिद्धांत जो कानून के रंग को बदल देंगे और जो भविष्य के गर्भ में अंतर्निहित थे, जन्म लेना शुरू कर रहे हैं।

18. उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि परिपत्र पत्र, मुकदमेबाजी का विषय है, ने कोई विशिष्ट कारण नहीं बनाया था? किसी व्यक्ति या निर्धारित वर्ग या व्यक्तियों के समूह को कानूनी चोट पहुंचाना, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह से सार्वजनिक चोट का कारण बना। अदालत ने कहा कि वकील होने के नाते याचिकाकर्ताओं के पास परिपत्र पत्र की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त कारण थे और वे जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका दायर करने के हकदार थे। उन्हें एक व्यस्त शरीर की तुलना में गहरी चिंता

पाई गई। हमारे जैसे विकासशील लोकतांत्रिक देश में तकनीकी दलीलों के नीचे राज्य की कार्रवाई को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, बल्कि संविधान के तहत प्रणाली के लोकतांत्रिक कार्यकरण में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से आम आदमी की आशंकाओं को दूर करने के लिए न्यायिक जांच की अनुमति दी जानी चाहिए। जब जनता के किसी व्यक्ति द्वारा किसी उल्लंघन को उसके संज्ञान में लाया जाता है तो न्यायपालिका केवल मूकदर्शक या दर्शक नहीं बनी रह सकती है, बशर्ते कि आरंभकर्ता *दुर्भावनापूर्ण* रूप से या गुप्त उद्देश्यों के साथ अदालत से संपर्क न करे। न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बिना किसी भय या पक्षपात के और हमारी संवैधानिक प्रणाली की स्थापित महिमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, जिसे सामाजिक क्रांति की परिकल्पना करने वाला माना जाता है, जो न्यायपालिका सहित सभी साधनों पर दायित्व डालता है, जो यथास्थिति को बदलने के लिए राज्य की एक अलग लेकिन समान शाखा है। एक नई मानवीय व्यवस्था के लिए जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा और सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता होगी। इसलिए, न्यायपालिका के पास एक सामाजिक आर्थिक गंतव्य और एक रचनात्मक कार्य है। इसे सामाजिक-आर्थिक क्रांति का एक हिस्सा बनने के लिए ग्लेनविले ऑस्टिन के शब्दों का उपयोग करना होगा और सामाजिक न्याय को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

19. इससे पहले *फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन* बनाम *भारत संघ*/ यह[6] माना गया कि कानून एक सामाजिक लेखा परीक्षक है और इस लेखा परीक्षा कार्य को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब वास्तविक सार्वजनिक हित वाला कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र को प्रज्वलित करता है। हमारे जैसे समाज में सहभागी सार्वजनिक न्याय के लिए सक्रियता को आवश्यक माना जाता था, जिसके लिए कुछ जोखिम उठाए जाने पर विचार किया गया था, जिससे सार्वजनिक दिमाग वाले नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए अधिक अवसर मिल सके और अब संकीर्ण झुकाव द्वारा इससे पीछे नहीं हटाया जा सके / संक्षेप में न्यायालय ने कहा कि :-

---

[6] ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 344.

"यदि कोई नागरिक उस देश के 660 मिलियन लोगों में से किसी एक से अधिक किसी भी हित या चिंता के बिना एक पथप्रदर्शक या विवेकी हस्तक्षेपकर्ता से अधिक नहीं है, तो अदालत का दरवाजा उसके लिए बंद नहीं होगा। लेकिन वह एक ऐसे संगठन से संबंधित है जिसकी विषय वस्तु में विशेष रुचि है, अगर उसे किसी व्यस्त व्यक्ति की तुलना में कुछ चिंता है, तो उसे द्वार पर नहीं बताया जा सकता है, हालांकि क्या उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे न्यायसंगत हैं, इस पर अभी भी विचार किया जाना बाकी हो सकता है। इसलिए, मेरा विचार है कि वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 226 के तहत स्वीकार्य होती।

20. सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर याचिका पर विचार किया शीला *वी* में एक पत्र / महाराष्ट्र *राज्य*,[7] *वीरा* वी। *बिहार राज्य*,[8] विभिन्न अन्य मामलों में। उच्च न्यायालयों द्वारा जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करने की प्रथा को चैतन्य बनाम भारत मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था । *कर्णाटक राज्य*,[9] जिसमें यह माना गया था कि जहां जनहित को मनमानी और विकृत कार्यकारी कार्रवाई से अनिर्धारित होने का खतरा था, वहां रिट जारी करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य था। प्रक्रिया जारी करने या सार्वजनिक हित में शक्तियों का प्रयोग करने से पहले न्यायालय को *प्रथम दृष्टया* यह स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष रखी गई जानकारी ऐसी प्रकृति की थी जिसकी जांच की आवश्यकता थी। *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि न्यायालय के पास आने वाले व्यक्ति की साख या दी गई जानकारी की प्रकृति या न्यायालय के संज्ञान में लाई गई जानकारी या अन्य परिस्थितियों में निर्धारित शिकायत की गंभीरता और गंभीरता का पता लगाने से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें सामान्य रूप से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से न्यायपालिका। न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि न्यायालय का रुख करने वाले व्यक्ति को दूसरों के चरित्र को अपमानित करने वाले बेबुनियाद और लापरवाह आरोपों में लिप्त होने की अनुमति नहीं है और सार्वजनिक

---

[7] ए.आई.आर. 1983, एस.सी. 378.

[8] ए.आई.आर. 1983, एस.सी. 339.

[9] ए.आई.आर. 1986, एस.सी. 825.

शरारत से बचना पूर्व-प्रधान है, इसलिए न्यायालय को उचित निर्देश देकर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

21. sjln में: निर्दिष्ट; ऐसे मामलों में, न्यायालय इस बात पर जोर नहीं देगा कि उसके ध्यान में लाया गया मामला सामाजिक व्यवस्था और मूल्यों पर इसके प्रभाव के लिए बहुत सार्वजनिक महत्व का था, जिसे यदि रोका या ठीक नहीं किया गया तो न्यायपालिका की संस्था या हमारी राजनीति में अपनाई गई और प्रचलित लोकतांत्रिक इमारत में एक आम आदमी के विश्वास का उल्लंघन हो सकता है। *बंधुआ मुक्ति मोर्चा* बनाम भारत *संघ,*[10] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों से निपटते समय न्यायालय के दृष्टिकोण को निर्माण के किसी मौखिक या औपचारिक तोप द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस सर्वोच्च उद्देश्य और उद्देश्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जिसके लिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसकी व्याख्या उन प्रावधानों की त्रिमूर्ति से रोशनी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो पूरे संविधान में व्याप्त और सक्रिय हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आम तौर पर, न्यायालय मध्यस्थ या व्यस्त निकाय के कहने पर हस्तक्षेप नहीं करेगा और आमतौर पर इस बात पर जोर देगा कि केवल एक व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उसे न्यायालय को सक्रिय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन जो अपने कारण अदालत का सहारा लेने की स्थिति में नहीं हैं। गरीबी, विकलांगता या सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में, न्यायालय को कार्य करना चाहिए और सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी भी सदस्य को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग के कारण का समर्थन करने की अनुमति देनी चाहिए।

22. जनता *दल बनाम जनता दल* में *एच. एस. चौधरी* (11), 'जनहित याचिका' शब्द का अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया था:-

> "'मुकदमेबाजी' शब्द का अर्थ है कानूनी कार्रवाई, जिसमें सभी कार्यवाही शामिल हैं, जो किसी अधिकार को लागू करने या उपचार की मांग करने के उद्देश्य से कानून की अदालत में शुरू की गई हैं। इसलिए, शाब्दिक रूप से 'पीआईएल'

---

[10] ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 892.

शब्द का अर्थ है सार्वजनिक हित या सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए कानून की अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित या कुछ हित है जिसके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती हैं। आधुनिक समाज में वर्तमान संदर्भ में 'पीआईएल' शब्द को इसके व्यापक अर्थ में समझाने वाले कई निर्णय हैं, जिनमें से कुछ का हम इस निर्णय के उपयुक्त भाग में उल्लेख करेंगे।

23. *के. आर. श्रीनिवास* बनाम *आर. एम. प्रेम चंद और अन्य*[11] ने कहा कि जनहित की राहत के लिए अदालत में आने वाले याचिकाकर्ता को न केवल साफ हाथों के साथ आना चाहिए, बल्कि साफ दिल, साफ दिमाग और स्वच्छ उद्देश्य के साथ भी आना चाहिए। उस मामले में अदालत ने इस आधार पर जनहित में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी कि याचिकाकर्ता ने देर से संपर्क किया था, खासकर जब उसे पता था कि उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट कर दिया गया था जो उसके आरोपों को अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक थीं।

24. जनहित याचिका को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और दुश्मनी को संतुष्ट करने के लिए लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जनहित याचिका व्यक्तियों या समुदाय के एक समूह के मौलिक अधिकारों के सत्यापन या प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही पर विचार करती है जो अपनी अक्षमता, गरीबी या कानून की अज्ञानता के कारण अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

25. अधिकार का प्रश्न ठोस नहीं होगा और न्यायालय जनहित में मुकदमेबाजी की अनुमति देगा यदि यह पाया जाता है -

- कि आक्षेपित कार्रवाई किसी भी कानून का उल्लंघन है। भारत के संविधान के भाग III में निहित अधिकार और इसके प्रवर्तन के लिए राहत मांगी जाती है;
- यह कि शिकायत की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध या *दुर्भावनापूर्ण* है और उन व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करती है जो गरीबी, अक्षमता या कानून की अज्ञानता के कारण अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं;

---

[11] 1994 6 SCC 620

- कि व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन से या संवैधानिक कानून के किसी प्रावधान के उल्लंघन से उत्पन्न सार्वजनिक चोट के निवारण के लिए जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा था;

- यह कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक व्यस्त मध्यस्थ व्यक्ति नहीं है और उसने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध या शिकायत को सही साबित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से संपर्क नहीं किया है;

- यह कि जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग राजनेताओं या अन्य व्यस्त निकायों द्वारा राजनीतिक या असंबंधित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था। राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक चूक, इस तरह के मुकदमेबाजी में सार्वजनिक रूप से न्यायसंगत नहीं है।

- जनहित में शुरू किया गया मुकदमा ऐसा था कि यदि इसका निवारण नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो यह न्यायपालिका की संस्था और देश के लोकतांत्रिक ढांचे में आम आदमी के विश्वास को कमजोर कर देगा .

- कि राज्य की कार्रवाई की कोशिश की जा रही थी; कालीन के नीचे कवर किया जाए और तकनीकी से बाहर फेंक दिया जाए *

- जनहित याचिका या तो दायर याचिका पर या प्राप्त पत्र या अन्य जानकारी के आधार पर शुरू की जा सकती है लेकिन इस संतुष्टि पर कि न्यायालय के समक्ष रखी गई जानकारी ऐसी प्रकृति की थी जिसके लिए जांच की आवश्यकता थी;

- कि न्यायालय का रुख करने वाला व्यक्ति साफ हाथों, साफ दिल और साफ उद्देश्यों के साथ आया है;

- जनहित में कोई कार्रवाई करने से पहले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उसके मंच का दुरुपयोग किसी भी निर्दोष वादी, राजनेता, व्यस्त निकाय या व्यक्तियों या समूहों द्वारा दुर्भावनापूर्ण *उद्देश्य* के साथ या तो अपनी व्यक्तिगत शिकायत की पुष्टि के लिए या ब्लैकमेलिंग या सार्वजनिक हित से इतर विचारों का सहारा लेकर नहीं किया जा रहा है।

26.इस मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों

को परेशान कर रहा था, दबाव डाल रहा था और ब्लैक-मेल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे जनहित में इस रिट याचिका को दायर करने का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की कथित दुर्भावना या उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा है जो याचिकाकर्ता के किसी प्रतिशोधी दिमाग या व्यक्तिगत द्वेष के कारण याचिका दायर करने का सुझाव देते हैं। न्यायालय निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को जनहित में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय उन व्यक्तियों के प्रति अपनी व्यक्तिगत शिकायत या दुश्मनी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिनके निर्देश जारी होने की संभावना है। यदि यह पाया जाता है कि राजनीतिक या असंबंधित उद्देश्यों के लिए राजनेताओं या व्यस्त निकाय द्वारा इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए भी अनिच्छुक होगा। हालांकि, न्यायालय हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेगा यदि यह पाया जाता है कि शिकायत की गई कार्रवाई को ठीक नहीं किया जाता है या रोका नहीं जाता है तो न्यायपालिका की संस्था और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास कमजोर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने साफ हाथों, साफ दिल या साफ उद्देश्यों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है, तो अदालत या तो उचित निर्देश जारी करने के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगी या ऐसा प्रावधान करेगी जिसके द्वारा उसे किसी भी रूप में लाभ को हड़पने के अपने अधिकार या इरादे को पूरा करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का कोई लाभ उठाने की अनुमति नहीं है।

इस मामले में हमारे संज्ञान में लाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास उस क्षेत्र में जमीन है जहां स्टोन क्रशर स्थानांतरित होने की संभावना है और यदि रिट याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो वह कथित रूप से एकमात्र लाभार्थी है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी सार्वजनिक हित को देख या संरक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि केवल निजी उत्तरदाताओं को अपने स्टोन क्रशर को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वह उन्हें अपने द्वारा निर्धारित दरों पर अपनी जमीन खरीदने के लिए मजबूर कर सके। . प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से दायर अतिरिक्त हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका कुछ और नहीं है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुरुपयोग है। हलफनामे में यह

कहा गया है कि याचिकाकर्ता की कुछ जमीनों को दिखाते हुए याचिकाकर्ता की कुछ जमीनों को दिखाते हुए वह एके-शजारा/मानचित्र की एक सूची दायर कर रहा है, जिसे वह विभिन्न व्यक्तियों को बेचना चाहता था और वह भ्रष्ट और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था और चूंकि इसे प्रतिवादी और अन्य व्यक्तियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही यह उनके लिए शारीरिक रूप से था। वे कार्य कर रहे हैं और कार्य को पूरा करने के लिए कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और यही एकमात्र तथ्य और कारण है और जो एक गुप्त है जिसने याचिकाकर्ता को इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान कवायद और कुछ नहीं, बल्कि आरोपी को ब्लैक-मेल करना और उसे याचिकाकर्ता की शर्तों पर आने के लिए मजबूर करना है।

27. याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे में उन सभी आरोपों से इनकार किया है और इसे बताया है। गलत और बिना किसी आधार के। वह लगभग 20 वर्षों से नौरंगपुर गांव में जमीन का मालिक होने के लिए भर्ती है और स्थायी आधार पर वहां रह रहा था। वह अपने बेटों और पोते के साथ गांव में रहने का दावा करता है, और गांव का एक किसान है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कभी भी प्रतिवादियों को अपनी जमीन खरीदने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि, "यह गलत है कि इस याचिका को दायर करने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य है या ब्लैक मेलिंग को देखते हुए, जैसा कि आरोप लगाया गया है। जो क्रशर मालिक नौरंगपुर में अपने क्रशर ोंं का पता लगाना चाहते हैं, वे किसी से भी जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि आश्रित के पास चिन्हित क्षेत्र में सभी भूमि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 23 द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से शरारतपूर्ण और अस्पष्ट हैं और बिना किसी आधार के हैं और इस बात से इनकार किया जाता है कि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका गुप्त उद्देश्य के साथ शरारतपूर्ण है। यह रिकॉर्ड के उद्देश्य से स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा नौरंगपुर गांव में चिन्हित जोन में केवल लगभग 13 एकड़ भूमि का मालिक है। क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ से अधिक है।

28. लॉयर्स इनिशिएटिव केस (सुप्रा) में निर्धारित सभी मानदंडों के टच स्टोन पर परीक्षण

करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान रिट याचिका जनहित में विचार योग्य नहीं है। यह भी स्थापित किया गया है कि जिस कार्रवाई की शिकायत की गई है, वह स्पष्ट रूप से अवैध या दुर्भावनापूर्ण नहीं है या व्यस्त शरीर या मध्यस्थ हस्तक्षेप के इशारे पर शुरू की गई है। जिस कार्रवाई की शिकायत की गई है, वह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित से संबंधित है- स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर रहा है जहां स्टोन क्रशर स्थित हैं। विभिन्न आदेश पारित करने के बावजूद, आधिकारिक प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से कानून, उसके तहत बनाए गए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उन्हें दिए गए कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, राहत प्रदान करते समय और उचित निर्देश जारी करते समय, सुरक्षा उपाय प्रदान किए जा सकते हैं जिनके द्वारा याचिकाकर्ता को सामान्य रूप से जनता के लाभ के लिए और अप्रदूषित वातावरण नहीं होने के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए उसके द्वारा शुरू किए गए वर्तमान मुकदमे का कोई अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

29. मामले में स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि एम: सी, *मेहता के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, प्रतिवादी राज्य ने 4 अगस्त, 1992 को अनुलग्नक पीआई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत स्टोन क्रशरों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिन्हें उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विस्तृत किया गया था। दिनांक 12 दिसम्बर, 1992 की अनुलग्नक पी2 अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा सरकार की दिनांक 9 जून, 1992 की अधिसूचना में संशोधन किए गए थे जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि चिन्हित क्षेत्र को छोड़कर किसी भी स्टोन क्रशर इकाई को उसमें विनिदष्ट क्षेत्र की सीमा ओं के भीतर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के 11 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग से 1 किलोमीटर, लिंक रोड से 300 मीटर की सीमा के भीतर कोई भी स्टोन क्रशर नहीं लगाया जा सकता है। महानगर महानगर की सीमा से 5 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर, कस्बे से 1जे किलोमीटर और जिला मुख्यालय के अलावा स्वीकृत अर्बन कॉलोनी और कोई भी मौजूदा पर्यटन परिसर, गांव की आबादी से एक किलोमीटर या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी भूमि या कोई भी क्षेत्र, जो नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टोन क्रशर उक्त आदेश में निर्दिष्ट अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य थे।

30. बेशक, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में उन बिंदुओं को निर्दिष्ट नहीं किया गया था जिनसे संदर्भित क्षेत्रों को मापा जाना था। 16 फरवरी के पत्र का जवाब देते हुए। 1994 सदस्य सचिव: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयुक्त और भारत सरकार के सचिव हरियाणा पर्यावरण विभाग, चण्डीगढ़ ने दिनांक 16 मार्च, 1994 के अपने पत्र (अनुलग्नक आर4/1) के माध्यम से स्पष्ट किया कि ग्राम आबादी से स्टोन क्रशर की दूरी को मापते समय क्रशर इकाई की बाहरी सीमा से गांव के फिरनी के निकटतम भाग तक की दूरी मापने की प्रथा का पालन किया जाए।

31. पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशरों के कारण पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव नामक परियोजना की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जो याचिका के साथ अनुलग्नक पी 3 के रूप में संलग्न है। यह रिपोर्ट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. एस. के. जिंदल और अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. करतार सिंह, अतिरिक्त प्रोफेसर, (प्रमुख, यूनिट द्वितीय) द्वारा की गई जांच पर आधारित थी। रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार है -

> "हमने पायलट तरीके से हरियाणा के पंचकूला और सूरजपुर इलाकों में स्टोन क्रशर से होने वाले प्रदूषण के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की है। हमने साइटों पर काम करने वाले 397 लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की है, साथ ही कई स्टोन क्रशरों के आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों की भी जांच की है। हमने पाया कि रिपिरेटरी (46.6 प्रतिशत) और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (30.2 प्रतिशत) समस्याओं का काफी उच्च प्रसार है। कहने की जरूरत नहीं है कि समस्याएं अन्य स्थानों के लिए भी समान हैं। पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि राज्य और समाज के समग्र विकास के लिए स्टोन क्रशर की आवश्यकता होती है। लेकिन उद्योग की जरूरतों, बढ़ी हुई लागत और स्वास्थ्य खतरों को कम करने के उपायों के कारण मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्यों के मुद्दों के बीच संतुलन बनाना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य सर्वोच्च लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना

आवश्यक है। इस रिपोर्ट में कुछ उपचारात्मक उपायों और शैक्षिक उपायों का सुझाव दिया गया है जो स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेप गैसों जैसे मामूली घटकों के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्य रूप से हवा में मौजूद नहीं होते हैं जैसे धूल, धुआं, औद्योगिक और ऑटोमोबाइल निकास, गैसीय और कण पदार्थ। इन प्रदूषकों की प्रकृति और मात्रा जनसंख्या, वाहनों के घनत्व, औद्योगिक इकाइयों के स्थान आदि के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। बाहरी वातावरण के साथ श्वसन ट्रैक के सीधे संपर्क के कारण फेफड़े वायु प्रदूषण से प्रभावित प्रमुख अंग हैं। विभिन्न एक्सपोज़र के लिए फेफड़ों की कार्यात्मक और रोग संबंधी प्रतिक्रियाओं का स्पेक्ट्रम व्यापक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वायुमार्ग की रुकावट वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक संपर्क का परिणाम है। कई व्यावसायिक और पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क में आने से अस्थमा बढ़ सकता है और / या बढ़ सकता है। धूल अन्य एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण भी बन सकती है जो एलर्जी एल्वियोलाइटिस का उत्पादन करती है। अकार्बनिक धूल फेफड़ों में जमा हो सकती है और फाइब्रोसिस पैदा कर सकती है। यह श्वसन विकलांगता पैदा करता है और कार्य कुशलता में कमी आती है। जबकि कोयला खनिकों में एन्थ्राकोसिक आम है, सिलिकोसिस सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले लोगों में होता है, अर्थात् खनन, मिट्टी के बर्तनों के काम और रेत-ब्लास्टिंग में शामिल श्रमिक। धूल के संपर्क में आने से फेफड़ों की सुरक्षा और समाशोधन तंत्र कम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण, विशेष रूप से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इस तरह के कुछ व्यावसायिक जोखिम फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। हरियाणा में स्टोन क्रशिंग एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पंचकूला, चंडीमंदिर, सूरजपुर, तोशाम (भिवानी), गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्रों में स्टोन क्रशर ोां की भरमार है। पत्थर कुचलने के कारण बहुत सारी मोटी धूल उत्पन्न होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, दिखाई देने वाली धूल में 50 यू से अधिक व्यास के कण होते हैं, जो नाक और ग्रसनी में बस जाते हैं। 5-10 यू आकार के छोटे कण हवा में निलंबित रहते हैं और सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। गहरी। ये ट्रेकोब्रोन्कियल पेड़ और फेफड़ों के पेरेन्काइमा में जमा होते हैं और फाइब्रोसिस को प्रेरित कर सकते हैं। यह फेफड़ों के कार्य हानि और दुर्बलता का कारण बनता है। ये फेफड़ों में पुराने ट्यूबरकुलर फॉसी को भी फिर से सक्रिय

कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। यह उजागर पानी के पाठ्यक्रमों और कंटेनरों पर जमा धूल और पेशे में शामिल श्रमिकों के अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति के कारण होता है। इसलिए, कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यकृत रोग देखे जा सकते हैं। पत्थर तोड़ने में शामिल कामगारों और आस-पास के इलाकों के निवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। समान व्यवसायों से उपलब्ध सामान्य साक्ष्य से, यह काफी संभावना है कि इन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति काफी खराब है। इसलिए, हमने इस समस्या का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया! एक सीमित क्षेत्र में पायलट फैशन में।

32. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चंडीगढ़ के सदस्य सचिव श्री बीडी सरदाना के शपथ पत्र से यह स्थापित होता है कि गांव की आबादी से सभी स्टोन क्रशरों की दूरी 1 किलोमीटर से कम है। अनुबंध आर 4/1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, क्रशर इकाई की बाहरी सीमा से गांव के फिरनी के निकटतम खंड तक की दूरी को मापा गया है।

33. प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए वकील ने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि अधिसूचना अनुबंध पी 2 के तहत दूरी को गांव की आबादी से मापा जाना आवश्यक था, इसे या तो गांव के केंद्र से या लाई लकीर से मापा जा सकता है, लेकिन गांव के फिरनी से नहीं । आबादी देह को विशेष रूप से पंजाब राजस्व अधिनियम या पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है जो हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं। न्यायिक निर्णयों के आधार पर अबादी देह का अर्थ है आबाद ग्राम स्थल जो शामलात देह की परिभाषा में शामिल नहीं है। पंजाब निपटान नियमावली के परिशिष्ट VII के पैरा 11 में लिखा है:-

> "गांव की साइट को एक संख्या में मापा जाना चाहिए, साथ ही छोटे भूखंडों के साथ जिसमें मवेशियों को लिखा जाता है, खाद संग्रहीत की जाती है, और पुआल को दांव पर लगाया जाता है और अन्य कचरे को गांव की साइट से जोड़ा जाता है। स्वामित्व और अधिभोग के कॉलम में प्रवेश बस अबादी देह होगा"।

इसलिए, अबादी देह का अर्थ है गांव का बसा हुआ स्थल। निपटान नियमावली के पैरा 131वें पृष्ठ 67 में "द अबादी" शब्द का उल्लेख किया गया है और यह निम्नानुसार है:-

“भाईचारे के सदस्यों और उनके आश्रितों के घर आमतौर पर गांव के किसी सुविधाजनक हिस्से में एक साथ बनाए जाते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस बसे हुए स्थल या 'आबादी' को भूमि राजस्व अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया है "जहां तक रिकॉर्ड वसूली और ग्राम उपकरों के प्रशासन के लिए आवश्यक हो सकता है" (पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 4 (1) देखें)। गांव के लोगों के घरों को आमतौर पर आबादी के बाहरी इलाके में रखा जाता *है,* और अशुद्ध जाति के पुरुषों द्वारा कब्जा किए गए लोग कभी-कभी इससे थोड़ी दूरी पर अलग साइट या साइटों पर कब्जा कर लेते हैं।

दूसरे शब्दों में, अबादी देह का अर्थ ऐसी भूमि से है जो गांवों द्वारा बसाई गई है, जिसमें भूमि के भूखंड शामिल हैं जिसमें भूमि के भूखंड शामिल हैं जिनमें मवेशियों को रखा जाता है, खाद संग्रहीत की जाती है और भूसा एकत्रित किया जाता है और अन्य अपशिष्ट गांव की साइट से जुड़ा होता है जिसका मूल्यांकन भूमि राजस्व से नहीं किया जाता है।

34. शजरों में इस तरह के क्षेत्र को लाल रंग में स्याही लगाई जाती है और आम बोलचाल की भाषा में अबादी देह को लाल लकीर के भीतर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है/ ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन निवारण और विखंडन) अधिनियम, 1948 के तहत जारी किए गए चकबंदी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देशों के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गांव में शजड़ों का पता लगाने के बाद मुख्य राजमार्ग, रेलवे लाइन और नहरों आदि की ओर जाने वाले मार्गों और सड़कों के लिए एक प्रावधान किया जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए प्रदान किए गए मार्ग और गांव के चारों ओर गोलाकार सड़कों को *फिरनी* के रूप में जाना जाता है , जिसकी चौड़ाई 4 से जी करम्स तक होना आवश्यक है। *इसलिए लाल लकीर* और *फिरनी* के भीतर की संपत्तियों को राजस्व एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और ठीक से समझा जाता है। यदि निर्दिष्ट क्षेत्र को मापने के लिए गांव के केंद्रीय बिंदु की स्वीकृति के संबंध में उत्तरदाताओं की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो 18 दिसंबर, 1992 को अधिसूचना जारी करना पूरी तरह से निराश होगा। उदाहरण के लिए, उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि कोई भी स्टोन क्रशर महानगरीय शहर की सीमा से 5 किमी के भीतर संचालित नहीं होगा। इस तरह की याचिका की स्वीकृति से दिल्ली शहर के भीतर ही स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी, जिसकी सीमाओं को कई गुना बढ़ा दिया गया है। यदि दिल्ली

शहर का केंद्र राजघाट माना जाता है, तो निजी उत्तरदाता कनॉट सर्कस या यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के पास या उसके आसपास स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए दावा कर सकते हैं। यदि ऐसी दलील स्वीकार कर ली जाती है- और। स्टोन क्रशर को जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर के भीतर स्थित होने की अनुमति है। स्टोन क्रशर जिला मुख्यालय के शहर की सीमा के भीतर ऐसे क्रशरों का पता लगाने के लिए अपने दावों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ऐसी याचिका जो स्पष्ट रूप से अधिनियमन या अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य को पराजित करती है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शजरों में इस तरह के क्षेत्र को लाल रंग में स्याही लगाई जाती है और आम बोलचाल की भाषा में अबादी देह को लाल लकीर के भीतर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है/ ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन निवारण और विखंडन) अधिनियम, 1948 के तहत जारी किए गए चकबंदी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देशों के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गांव में शजड़ों का पता लगाने के बाद मुख्य राजमार्ग, रेलवे लाइन और नहरों आदि की ओर जाने वाले मार्गों और सड़कों के लिए एक प्रावधान किया जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए प्रदान किए गए मार्ग और गांव के चारों ओर गोलाकार सड़कों को *फिरनी* के रूप में जाना जाता है , जिसकी चौड़ाई 4 से जी करम्स तक होना आवश्यक है। *इसलिए लाल लकीर* और *फिरनी* के भीतर की संपत्तियों को राजस्व एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और ठीक से समझा जाता है। यदि निर्दिष्ट क्षेत्र को मापने के लिए गांव के केंद्रीय बिंदु की स्वीकृति के संबंध में उत्तरदाताओं की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो 18 दिसंबर, 1992 को अधिसूचना जारी करना पूरी तरह से निराश होगा। उदाहरण के लिए, उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि कोई भी स्टोन क्रशर महानगरीय शहर की सीमा से 5 किमी के भीतर संचालित नहीं होगा। इस तरह की याचिका की स्वीकृति से दिल्ली शहर के भीतर ही स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी, जिसकी सीमाओं को कई गुना बढ़ा दिया गया है। यदि दिल्ली शहर का केंद्र राजघाट माना जाता है, तो निजी उत्तरदाता कनॉट सर्कस या यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के पास या उसके आसपास स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए दावा कर सकते हैं। यदि ऐसी दलील स्वीकार कर ली जाती है- और। स्टोन क्रशर को जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर के भीतर स्थित होने की अनुमति है। स्टोन क्रशर जिला मुख्यालय के शहर की सीमा के भीतर ऐसे क्रशरों का पता लगाने के लिए अपने दावों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ऐसी याचिका जो स्पष्ट रूप से अधिनियमन या अधिसूचना के उद्देश्य

और उद्देश्य को पराजित करती है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

35. इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे और प्रतिवादी-राज्य ने स्वयं अधिसूचनाएं जारी की थीं, स्टोन क्रशरों को उन साइटों से स्थानांतरित करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है जहां वे वर्तमान में स्थित हैं। प्रतिवादियों-अधिकारियों की ओर से चूक ने वर्तमान याचिकाकर्ता को क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उचित निर्देश जारी करने और गांव के निवासियों के लिए मुक्त प्रदूषित वातावरण को सुरक्षित करने के लिए इस न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया है। अधिकारी-प्रतिवादियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि शिकायत करने पर, मामला उनके पास लंबित था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि पहले वार्षिक आधार पर दिए गए लाइसेंस को निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में नवीनीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी-प्रतिवादी *एम. सी. मेहता के मामले* (सुप्रा) में और पर्यावरण (रोकथाम) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत निर्देश जारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए अपने कर्तव्यों के पालन में विफल रहे हैं। और उसके तहत अनुलग्नक पीएल और अनुलग्नक पी 2 अधिसूचनाएं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों से निपटते समय न्यायालय द्वारा चूक, भले ही जानबूझकर नहीं, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो उन्हें अन्य लोगों के बीच प्रदूषण मुक्त क्षेत्र और वातावरण में रहने की अनुमति देता है, जैसा कि सुभाष *कुमार बनाम सुभाष कुमार* मामले *में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।बिहार राज्य और अन्य*।[12]

36. हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादियों के व्यवसाय को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश जारी करना उनकी पसंद के अनुसार व्यापार और व्यापार करने के उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के समान होगा। तर्क, हालांकि इसके चेहरे पर आकर्षक है, बिना किसी आधार के है। मौलिक अधिकारों का आनंद उचित सीमाओं के अधीन है। कोई भी अपनी इच्छा ओं और इच्छाओं के अनुसार व्यापार और व्यापार करने के अपने अधिकार का

---

[12] ए.आई.आर. 1991, एस.सी. 420.

आनंद ले सकता है।समय इस तरह का आनंद दूसरों के जीवन और संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारे जैसे विकासशील समाज में, एक तरफ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना होगा और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास, समाज की सेवा और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से, निजी उत्तरदाताओं को ऐसे साधनों को अपनाने और तरीकों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो चिड़चिड़े, तर्कहीन और अनियंत्रित हैं जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है जैसा कि पर्यावरण प्रदूषण समिति के स्वास्थ्य प्रभाव नामक परियोजना द्वारा देखा गया है। वास्तव में सरकार ने स्टोन क्रशरों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए उपयुक्त अधिसूचनाएं जारी करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और उनके जीवन को बचाने का निर्णय लिया है। *ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र और अन्य में सर्वोच्च न्यायालयउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (14) ने पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना पर ध्यान दिया, जो हाल ही में उत्पन्न हुआ है। इसमें _जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित विश्व पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उसके बाद की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है।.

37. पारिस्थितिकीय असंतुलन से निपटना, पर्यावरणीय समस्याओं, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बावजूद औद्योगिक विकास से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सच्चिदानंद पांडे और अन्य मामले में निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (15) निम्नानुसार हैं:-

> “जब भी पारिस्थितिकी की समस्या न्यायालय के समक्ष लाई जाती है, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48-ए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहता है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा", और अनुच्छेद 51-ए (जी) जो इसे भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित करता है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण, और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना"। जब न्यायालय को नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए बुलाया जाता है, तो न्यायालय को अपने कंधों को झुकाना नहीं चाहिए और यह

कहना चाहिए कि प्राथमिकताएं नीति का विषय हैं और इसलिए यह नीति-निर्माता प्राधिकरण का मामला है। अदालत कम से कम यह जांच कर सकती है कि क्या उचित विचारों को ध्यान में रखा गया है और असमानताओं को बाहर रखा गया है। उचित मामलों में, अदालत आगे बढ़ती है, लेकिन आगे कितना आगे बढ़ना चाहिए, यह मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

38. सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया, जिनसे अदालत से उसके समक्ष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने की उम्मीद थी। यह माना गया था कि यदि राज्य प्रशासन कार्रवाई करने से चूक जाता है या यदि उसकी कार्रवाई विचार से प्रेरित होती है जो अप्रासंगिक है, तो न्यायालय जनता के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

39. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री बीडी सरदाना ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1984 के अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश क्षेत्रीय अधिकारी, गुड़गांव को स्टोन क्रशरों के स्थलों के पुन सत्यापन के लिए भेजे गए थे, जिन्हें स्थानांतरण से छूट दी गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, क्षेत्रीय अधिकारी, गुड़गांव ने खुलासा किया था कि गांव आबादी से स्टोन क्रशर की दूरी 1 किलोमीटर से कम थी। क्षेत्रीय अधिकारी, गुड़गांव से उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले को दिनांक 24 मई, 1994 के पत्र द्वारा सभी तथ्यों को देते हुए सरकार को भेज दिया गया था। इन परिस्थितियों में यह मामला आगे निर्णय लेने के लिए सरकार के समक्ष लंबित है। प्रतिवादी-सरकार ने जारी अपनी अधिसूचनाओं और श्री बीडी सरदाना द्वारा अपने हलफनामे में उल्लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति के अनुसरण में प्रभावी कदम नहीं उठाने का कोई कारण नहीं बताया है या खुलासा नहीं किया है। नागरिकों के अधिकारों से निपटते समय, हम हरियाणा राज्य अनुलग्नक पी 3 में स्टोन क्रशर के कारण पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव नामक परियोजना की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रख्यात वैज्ञानिकों वाली समिति ने यह राय व्यक्त की है कि पत्थर को कुचलने के कारण बहुत अधिक मोटी धूल उत्पन्न होती है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। दिखाई देने वाली धूल में 50 यू से अधिक व्यास के कण होते हैं, जो घर और ग्रसनी में बस जाते हैं। 5-10 यू आकार के छोटे कण

हवा में निलंबित रहते हैं और गहरी सांस लेते हैं जो ट्रेकोब्रोन्कियल पेड़ और फेफड़ों के पर्सेनकाइमा में जमा होते हैं और फाइब्रोसिस को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह की प्रक्रिया फेफड़ों के कार्य हानि और दुर्बलता का कारण बनती है जो फेफड़ों में पुराने ट्यूबरकुलर फॉसी को भी प्रतिक्रियाशील कर सकती है। समिति ने आबादी वाले क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर ध्यान दिया है और निष्कर्ष निकाला है कि श्वसन के सीधे संपर्क के कारण वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले प्रमुख अंग फेफड़े हैं।

40. बाहरी वातावरण के साथ पथ विभिन्न एक्सपोज़र के लिए फेफड़ों की कार्यात्मक और रोग संबंधी प्रतिक्रियाओं का स्पेक्ट्रम व्यापक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और वायुमार्ग की रुकावट वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक संपर्क का परिणाम है। कई व्यावसायिक और पर्यावरणीय प्रदूषकों के संपर्क में आने से अस्थमा बढ़ सकता है और / या बढ़ सकता है। धूल अन्य एलर्जी) प्रतिक्रियाओं का कारण भी बन सकती है जो एलर्जी एल्वियोलाइटिस का उत्पादन करती है। अकार्बनिक धूल फेफड़ों में जमा हो सकती है और फाइब्रोसिस पैदा कर सकती है। यह श्वसन विकलांगता पैदा करता है और कार्य कुशलता में कमी आती है। जबकि एंथ्राकोसिक कोयला खनिकों में आम है, सिलिकोसिस सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले लोगों में होता है अर्थात् खनन, मिट्टी के बर्तनों के काम और रेत विस्फोट में शामिल श्रमिक। धूल में विस्फोट फेफड़ों की सुरक्षा और समाशोधन तंत्र को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण विशेष रूप से ट्यूहरक्लोसिस हो सकता है। इस तरह के कुछ व्यावसायिक जोखिम फेफड़ों के कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।

41. हमारे ध्यान में लाई गई इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, खासकर जब राज्य ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई है और अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। उत्तरदाताओं ने स्वयं अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने में कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि उचित प्राधिकरण द्वारा उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं और स्टोन क्रशर के व्यवसाय को चलाने के लिए उनके पक्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी राज्य ने निजी प्रतिवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो लाइसेंस दिए बिना भी स्टोन क्रशर का संचालन कर रहे हैं। कुछ उत्तरदाताओं के पक्ष में लाइसेंस प्रदान करने से उन्हें उन स्थानों पर व्यवसाय करने

का कोई पूर्ण अधिकार नहीं मिला, जिन्हें उक्त व्यवसाय के लिए सुरक्षित नहीं घोषित किया गया था। लाइसेंस जारी करने को हर साल एक नया अनुदान माना जाता है। लाइसेंसधारक का यह दायित्व है कि वह ऐसे निदेशों और शर्तों का अनुपालन करे जो कानून के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस के नवीकरण के समय अधिरोपित की जाती हैं।

42. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की एम *सी. मेहता* वी. *भारत संघ और अन्य*,[13] पर निर्भरता दिखाई । किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करते हैं या हमें इस आधार पर याचिका खारिज करने के लिए राजी नहीं करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में आने से पहले प्रतिवादियों से संपर्क नहीं किया था, इसलिए उनकी याचिका को खारिज करने की आवश्यकता थी। उस मामले में न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एक प्रमुख मुद्दा था जिसने दुनिया भर में लोगों की भलाई और आर्थिक विकास को प्रभावित किया। यह पूरी दुनिया के लोगों की तत्काल इच्छा और सभी सरकारों के कर्तव्य थे। अदालत ने आगे पाया कि "हम अपने चारों ओर पृथ्वी के कई क्षेत्रों में मानव निर्मित नुकसान के बढ़ते सबूत देखते हैं; जल, वायु, पृथ्वी और जीवित प्राणियों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर; जीवमंडल के पारिस्थितिक संतुलन के लिए प्रमुख और अवांछनीय गड़बड़ी; अपूरणीय संसाधनों का विनाश और कमी; और मानव निर्मित वातावरण में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सकल कमियां; विशेष रूप से रहने और काम करने के माहौल में। उस मामले में, न्यायालय ने माना कि मुक्त और अप्रदूषित पर्यावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह पर्यावरणीय लक्ष्य नागरिकों और समुदायों द्वारा और हर स्तर पर उद्यमों और संस्थानों द्वारा जिम्मेदारी की स्वीकृति की मांग करेगा, सभी सामान्य प्रयासों में समान रूप से साझा करेंगे। न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों के साथ-साथ कई क्षेत्रों में संगठन, उनके मूल्यों और उनके कार्यों के योग से, भविष्य के विश्व वातावरण को आकार देंगे। जहां कभी यह पाया जाता है कि वातावरण और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, न्यायालय प्रदूषण मुक्त वातावरण के संरक्षण के लिए उचित निर्देश जारी करने में संकोच नहीं करेगा। उपर्युक्त निर्णयों और मामले के तथ्यों के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है

---

[13] ए.आई.आर. 1988 एससी 1087.

कि विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर निजी प्रतिवादियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है, सार्वजनिक हित में नहीं है। इसी तरह प्रतिवादियों के वकील की एम. *सी. मेहता और अन्य पर भी भरोसा* है। *भारत संघ और अन्य*[14] भी गलत हैं क्योंकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने _np है कि सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट के अभाव में, जनहित में दायर याचिका में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अन्यथा, जैसा कि इस मामले में पहले उल्लेख किया गया है, तथ्यों के आधार पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी 3) का संदर्भ दिया गया है।

43. इस प्रकार यह स्थापित किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के जनादेश और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के आधार पर उचित राहत देने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है। यह आगे स्थापित किया गया है कि कानून के निर्देशों और जनादेश जारी करने के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं। यह साबित होता है कि निजी उत्तरदाता उन क्षेत्रों में स्टोन क्रशर का व्यवसाय कर रहे हैं जिन्हें निषिद्ध क्षेत्र माना गया है और वे अपने व्यवसाय को उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं जैसा कि अनुबंध पी 5 में बताया गया है। निजी उत्तरदाताओं द्वारा किया गया व्यवसाय भी स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हुआ है जिसके लिए तत्काल निवारक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। यदि गांव आबादी के पास स्थित स्टोन क्रशरों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश नहीं दिया जाता है, तो क्षेत्र के निवासियों के जीवन के लिए तत्काल आशंका और खतरा है।

44. चूंकि याचिकाकर्ता खुद स्टोन क्रशरों के स्थानांतरण के कारण लाभार्थी होने का आरोप है, इसलिए ऐसी आशंका को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वह स्टोन क्रशर को उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव से लाभान्वित नहीं होना चाहता है, जहां उसे 13 एकड़ की भूमि का मालिक दिखाया गया है। मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमने याचिकाकर्ता की

---

[14] 1986 2 एससीसी 176।

भूमि के अधिग्रहण और निजी प्रतिवादियों या अन्य स्टोन क्रशरों को हस्तांतरित करने पर कुछ प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है। हमें इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए राजी किया गया है क्योंकि मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित होकर कि इस याचिका को जनहित में एक याचिका के रूप में माना गया है और याचिकाकर्ता ने खुद किसी भी अधिमान्य उपचार के लिए प्रार्थना नहीं की थी। कोई भी कानून अदालत को प्रतिवादियों को ऐसे क्षेत्रों और भूमि का उपयोग करने से रोकने से नहीं रोकता है जिन्हें वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से न्यायालय द्वारा संदर्भित या घोषित किया गया है।

45. बहस के दौरान, यह हमारे ध्यान में लाया गया कि ऐसे स्टोन क्रशर पंजाब राज्य और हिमाचल प्रदेश में राजमार्गों के पास और आबादी वाले क्षेत्र के आसपास भी स्थित हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि *एमसी मेहता के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद , पंजाब सरकार ने ऐसे स्थानों के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जहां स्टोन क्रशर स्थित हैं। यदि पंजाब सरकार राजमार्गों या आबादी वाले क्षेत्रों के पास स्थित स्टोन क्रशरों के रूप में स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करने के लिए उचित उपाय करती है तो इसकी सराहना की जाएगी। यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित स्टोन क्रशरों के संबंध में हमारा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि उस राज्य के नागरिकों और उस राज्य के भीतर राजमार्गों से गुजरने वाले व्यक्तियों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए हमारी इच्छा से उस राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को अवगत कराया जाए। यह फिर से उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित स्टोन क्रशरों द्वारा बनाई गई धूल से पंजाब और हरियाणा राज्यों के निवासियों को सांस लेने में समस्या होने का आरोप लगाया गया है क्योंकि ऐसे अधिकांश स्टोन क्रशर इन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं।

46. इन परिस्थितियों में इस याचिका में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

    1. सभी निजी उत्तरदाता जो स्टोन क्रशर के मालिक हैं, वे अपने स्टोन क्रशिंग व्यवसाय को बंद कर देंगे और उन्हें इस फैसले की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थानांतरित

कर देंगे;

2. राज्य सरकार स्टोन क्रशरों को बंद करने और चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और केवल ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में लाइसेंस जारी करेगी जो स्टोन क्रशर के अपने व्यवसाय को चिन्हित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं;

3. यह कि वर्तमान स्थानों पर स्थित सभी स्टोन क्रशरों को एक महीने के बाद बंद माना जाएगा और किसी भी आधार या बहाने से स्टोन क्रशर का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

4. कि निजी प्रतिवादी खरीद नहीं करेंगे और याचिकाकर्ता स्टोन क्रशर की स्थापना या किसी अन्य समान और सहायक उद्देश्य के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में स्थित अपनी जमीन को नहीं बेचेगा।

5. यह कि क्षेत्र के नागरिक उन व्यक्तियों के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए अपने दावों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकृत हैं, जो निजी उत्तरदाताओं के स्वामित्व और प्रबंधन वाले स्टोन क्रशरों के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण पीड़ित साबित हुए हैं। क्षेत्र के निवासियों को इस तरह के अधिकार को अधिसूचित करने के बाद दो महीने के भीतर ऐसे मुआवजे के दावों पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसे दावों को प्राथमिकता दी जाती है, तो उन पर विचार किया जाएगा और तीन महीने के भीतर उनका निपटान किया जाएगा और यदि कोई प्रतिवादी-स्टोन क्रशर है, तो उसे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर उसके द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर उसका लाइसेंस जारी रखने के लिए लाइसेंस जारी रहेगा। स्टोन क्रशर व्यवसाय को धोखा दिया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि व्हाइट मुआवजे के दावों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जारी करेगा। प्रतिवादी-राज्य मुआवजे के लिए ऐसे दावों के मनोरंजन और अधिनिर्णय के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करेगा। यदि ऐसा होता है तो इसकी सराहना की जाएगी। न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है;

6. यद्यपि पंजाब राज्य हमारे समक्ष पक्षकार नहीं रहा है, फिर भी इस निर्णय

की प्रति पंजाब राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने के लिए दी जाएगी। ऊपर की गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार उचित कदम उठाए गए हैं।

7. इस निर्णय की एक प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी और यदि वांछित हो तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(47) याचिकाकर्ता जिसने सार्वजनिक उत्साही होने का दावा किया है, ने स्वास्थ्य खतरे को दूर करने, क्षेत्र के जीवन बचाव के लिए जनहित में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है, को लागत का हकदार माना जाता है, जिसका मूल्यांकन 10,500 रुपये किया जाता है, जिसे निजी उत्तरदाताओं द्वारा 500 रुपये की दर से साझा किया जाता है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की लागत देने के लिए राजी किया गया है कि याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह पहचान किए गए क्षेत्र में स्थित अपनी जमीन को किसी भी उद्देश्य के लिए या स्टोन क्रशर स्थापित करने के उद्देश्य से निजी प्रतिवादियों को न बेचे।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी